

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्रीमति सुनिता यादव, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

- 1- मोडू पिता नन्दा कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा
- 2- मु. बाली पुत्री नन्दा कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा
- 3- मु. गंगा पुत्री नन्दा कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा
- 4- मु. लाली पुत्री नन्दा कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा
- 5- मु. बाली पिता पोखर कहार पत्नी मोडू कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा

- वादीगण

बनाम

- 1- मदन पिता पोखर कहार निवासी रामपुरा, शाहपुरा
- 2- मु. मोडी पिता पोखर कहार पत्नी उंकार कहार निवासी उदयभान गेट रोड कोली मोहल्ला शाहपुरा
- 3- भैरु पिता खाना कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
- 4- सोहन पिता खाना कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
- 5- मु. नन्दू पिता खाना कहार पत्नी गोपाल कहार (कोटिया) निवासी धाकड़ बस्ती, कलिंजरी गेट बाहर शाहपुरा
- 6- मु. ऐजन पिता खाना कहार पत्नी नारायण कहार निवासी उदयभान गेट शाहपुरा
- 7- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : खातेदारी घोषणा, विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु

मुकदमा नम्बर 46 सन् 2015 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिंग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 02 माह 01 सन् 2023 को जारी की गई।



(सुनिता यादव)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)